न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर

बेईजलास– श्री दीपांशु सांगवान, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
छोगाराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी पीथोलाई तहसील नागौर		1. मोहनराम पुत्र दुर्जनराम नाई 2. शिवनाथ पुत्र दुर्जनराम नाई निवासी पीथोलाई मूण्डासर 3. मोहनराम पुत्र चेतनराम जाट 4. किशनाराम पुत्र चेतनराम जाट निवासी पीथोलाई 5. मोहनराम पुत्र हरूराम जाट 6. रामेश्वर पुत्र हरूराम जाट 7. उरजाराम पुत्र हरूराम जाट 8. प्रेमाराम पुत्र हरूराम जाट निवासी मूण्डासर 9. सोहनराम पुत्र हरूराम जाट निवासी घोडारण 10 रामकरण पुत्र पन्नाराम जाट निवासी घोडारण 11 तहसीलदार, नागौर

आवेदन पत्र बाबत पत्थरगढी अधीन धारा 128 एलआर एक्ट

निर्णय

दिनांक 4/6/19

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ईस्तुदुआ की है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 मोहनराम व किशनाराम सगे भाई है एवं श्री चेतनराम के जायन्दा पुत्र है। पक्षकारान के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 156 रकबा (जमाबंदी के अनुसार) 77 बीघा 10 बिस्वा व चालू खतौनी सम्वत 2065 से 2068 के अनुसार 44 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम मुण्डासर प्रार्थी के बडेरो के खातेदारी का चला आ रहा है परन्तु प्रार्थी के पिता के देहान्त के पश्चात यह सम्पूर्ण खेत प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के शामिलाति में है तथा वर्तमान में सम्पूर्ण खेत पर कब्जा काश्त प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का चला आ रहा है।

प्रार्थी ने अपने खेत का नाप करवाने हेतु एक आवेदन तहसीलदार नागौर को दिया जिस पर तहसीलदार ने हल्का पटवारी सथेरण को नाप करवाने का आदेश दिया था। जिसमें गांव के गौतबिरान छोगाराम, खेराजराम, प्रेमाराम, ओमप्रकाश, दुर्जाराम, शेराराम, खुमाराम, गंगाराम, रूघाराम आदि के रूबरू पटवारी सथरेण ने दिनांक 8.1.18 को नाप कर रिपोर्ट दी जिसकी नकल प्रार्थना पत्र के संलग्न है।

रिपोर्ट के अनुसार मूल खसरा नम्बर 156 का नक्शा के अनुसार क्षेत्रफल की गणना करने से रकबा 58 बीघा 10 बिस्वा बनता है। जबकि मोके पर मूल खसरा नम्बर 156 का

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

रकबा 47 बीघा 12 बिस्वा ही है। इस प्रकार नक्शे व मौके के अनुसार भी इस खसरे की भूमि 10 बीघा 18 बिस्वा कम पड़ती है जो खसरा नम्बर 157, 158 व 172 में शामिल है। पटवारी की रिपोर्ट में यह भी बताया है कि ग्राम मुण्डासर के खसरा नम्बर 158 का रकबा मुताबिक राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में 7 बीघा 4 बिस्वा दर्ज है। जबकि नक्शे के अनुसार इस खसरे का रकबा लगभग 40 बीघा होता है जबकि मौके पर इससे भी अधिक भूमि पर काबिज है। इस प्रकार ग्राम मुण्डासर के खसरा नम्बर 156, 158, 157, 172 का मुताबिक वर्तमान राजस्व रेकर्ड व नक्शें के अनुसार मिलान नहीं होता है।

प्रार्थी का कब्जा काश्त मौके पर पटवारी हल्का सथेरण की रिपोर्ट दिनांक 8.1.18 के अनुसार ही है एवं उसी प्रकार काबिज है तथा काश्त करता है एवं समस्त ग्रामवासियों के सामने नापने पर सही रिपोर्ट आई है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 156 वाके मौजा मुण्डासर रकबा 44 बीघा 10 बिस्वा पर पत्थरगढी करवाई जावे एवं उसी रिपोर्ट अनुसार मौके पर पत्थरगढी करना आवश्यक है एवं न्यायसंगत है। जिससे प्रार्थी अपने मौके के खेत पर काबिज रहकर काश्त कर सकें एवं पडौसियों से अनावश्यक विवाद उत्पन्न नहीं हो।

वकील अप्रार्थी संख्या 3 ने दिनांक 24.9.18 को इकबाली जबाब प्रस्तुत किया।

वकील अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 5 से 10 की ओर से जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 सगे भाई है जो चेतनराम के जायंदा पुत्र है और जीयाराम के पोत्र है। जीयाराम के दो पुत्र पेमा व चेतन थे। वादी व प्रतिवादीगण 3 व 4 के खेत खसरा नम्बर 156 चालू खतौनी के अनुसार 44 बीघा 10 बिस्वा है जो उनके बडेरों का है परन्तु प्रार्थी के वर्तमान खसरा नम्बर 156 है व पुराना खसरा नम्बर क्या है प्रार्थी ने नहीं बताया है क्योंकि संवत 2020 के सेटलमेंट हो गया था उस गडबडी का नाजायज फायदा उठाना चाहते है। यह मामला सीमाज्ञान का नहीं है यह रेकर्ड दुरूस्ती का है। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 उसके भाई ने सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर के न्यायालय में रेकर्ड दुरूस्ती का वाद दायर कर रखा है जिसकी पेशी 28.1.19 है जिसका अनवान मोहनाम वगैराह बनाम पेमाराम वगैराह है व राजस्व वाद संख्या 14/18 उक्त मामले में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 भी पक्षकार है। हाल खसरा नम्बर 158 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा है जो पुराना खसरा नम्बर 63 है जिसका रकबा 50 बीघा 19 बिस्वा है व मौके पर आज भी उक्त खसरा नम्बर 158 हाल व पुराना खसरा नम्बर 63 रकबा 50 बीघा 19 बिस्वा है जो संवत 158 हाल व पुराना खसरा नम्बर 63 रकबा 50 बीघा 19 बिस्वा है जो संवत 2011 की जमाबंदी में भी 50 बीघा 19 बिस्वा दर्ज है। मगर संवत 2020 की सेटलमेंट टीम की गड़बड़ी से खसरा नम्बर 156 में रकबा 45 बीघा 11 बिस्वा दर्ज कर दिया गया व खसरा नम्बर 157 में रकबा 4 बीघा दर्ज कर दिया गया जो मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। इस प्रकार खसरा नम्बर 63 का अलग अलग खसरों में मिलान कर दिया जबकि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के कब्जा काश्त में भौतिक रूप से कब्जा अनुसार रकबा 50 बीघा 19 बिस्वा है व राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2011 व मिलान क्षेत्रफल भूप्रबंध विभाग की जमाबंदी व मौका, नक्शा के अनुसार हाल खसरा नम्बर 158 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा सेटलमेंट अधिकारियों की भूल व

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

लापरवाही की वजह से साबिका खसरा नम्बर 158, 156 व 157 में अलग अलग दर्ज करने में विधिक भूल की है जिससे राजस्व रेकर्ड दुरूस्त कराने का वाद भी पेश हो चुका है जिसकी नकल जबाब के साथ पेश है। दिनांक 8.1.18 की फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट में भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है कि खसरा नम्बर 158 मौके पर 50 बीघा होना बताया है जो नक्शा व मौका दोनो से साबित है इसलिए यह मामला सीज्ञान का नहीं होकर रेकर्ड दुरूस्ती का है इसलिए प्रार्थी रेकर्ड दुरूस्ती में सहयोग करे, मौके पर किसी प्रकार का सीमा विवाद नहीं है मगर सेटलमेंट टीम की भूल व लापरवाही से साबिका खसरा नम्बर 63 का गलत इन्द्राज होने से यह मामला रेकर्ड दुरूस्ती का है जो पटवारी रिपोर्ट सीमाज्ञान की दिनांक 8.1.18 से साबित है।

बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के जवाब प्रार्थना पत्र से यह साबित होता है कि पक्षकारान के मध्य एक वाद संख्या 14/2018 अनवान मोहनराम बनाम पेमाराम वगैरह घोषणा खातेदारी का एवं रेकर्ड दुरूस्ती का न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) नागौर मे विचाराधीन है। तथा पटवारी हल्का की फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 8.1.2018 के अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड व नक्शे अनुसार वादग्रस्त खेताय का मिलान नही हो रहा है। विचाराधीन प्रकरण राजस्व वाद में ही पक्षकारों के हक तय होकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त होने है उसके द्वारा ही न्यायालय के निर्णय अनुसार ही पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जा सकते है। यह पक्षकारों के बीच हक तय होने का नियमित वाद न्यायालय में लम्बित है तो इस प्रकार की सम्री प्रोसिजर अपना कर आदेश पारित करने से लम्बित वाद के न्यायिक निर्णय प्रभावित होने की पूरी संभावना रहती है। इस संबंधम में धारा 111(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का अवलोकन किया गया। चूकिं पक्षकारों के बीच हक तय करवाने के लिए नियमित वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए धारा 111(2) के तहत भी इस प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है।

(दिंपाशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
नागौर

निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 4/6/2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दिंपाशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
नागौर